न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
55 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	25.06.2020	23.12.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–श्री कालू राम जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन एफ0बी0ओ0 मैसर्स महावीर प्रसाद विनोद कुमार चौपड चौराहा के पास डिग्गी तहसील मालपुरा, जिला टोंक (राज0) निवासी पुराना बाजार डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक

2– मैसर्स महावीर प्रसाद विनोद कुमार चौपड चौराहा के पास डिग्गी तहसील मालपुरा, जिला टोंक (राज0)

3– श्री रामबाबू परतानी पुत्र श्याम सुन्दर प्रोपरायटर मैसर्स परतानी इण्डस्ट्रीज जी –1–33–34 इण्डस्ट्रीयल एरिया मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी 143, कृषि मण्डी के पीछे बृजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक राज0

4– मैसर्स परतानी इण्डस्ट्रीज जी –1–33–34 इण्डस्ट्रीयल एरिया मालपुरा जिला टोंक राज0

5– श्री अक्षय अग्रवाल पुत्र श्री अनिल कुमार अग्रवाल निवासी 69 सुजुकी एनक्लेव, शास्त्री नगर भीलवाडा राज0 प्रोपरायटर मैसर्स अक्षकुबेर सोरटेक्स प्रा0 लि0 69–70, सुजुकी एनक्लेव, चित्तौड़ रोड़, रामधाम के पास भीलवाडा राज0। कांकोलिया चौराहा के पास शाहपुरा रोड़ तहसील बेनाडा जिला भीलवाडा।

6– मैसर्स अक्षकुबेर सोरटेक्स प्रा0 लि0 69–70, सुजुकी एनक्लेव, चित्तौड़ रोड़, रामधाम के पास भीलवाडा राज0। कांकोलिया चौराहा के पास शाहपुरा रोड़ तहसील बेनाडा जिला भीलवाडा।

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2– अप्रार्थीगण उपस्थित

दिनांक 23.12.2021

:–निर्णय–:

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:53:47 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.02.2020 को समय 12.19 ए.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स महावीर प्रसाद विनोद कुमार चौपड चौराहा के पास डिग्गी तहसील मालपुरा, जिला टोंक (राज0) पर पहुंचां। प्रोपरायटर की हैसियत से श्री कालू राम जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन एफ0बी0ओ0 मैसर्स महावीर प्रसाद विनोद कुमार चौपड चौराहा के पास डिग्गी तहसील मालपुरा, जिला टोंक (राज0) निवासी पुराना बाजार डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **सूजी चारभुजा पॉली पैक (Sooji Charbhuja Poly Pack)** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री कालूराम जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता कालूराम जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 500–500 ग्राम के 25 पैकेट पॉलीपेक **सूजी चारभुजा पॉली पैक (Sooji Charbhuja Poly Pack)** रखे हुये मे से 500–500 ग्राम के 4 मूल पैक का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री कालूराम जैन को रू0 66/–अक्षरे छियासठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **सूजी चारभुजा पॉली पैक** (Sooji Charbhuja Poly Pack) खरीदशुद्वा 4 मूल पैक को बराबर–बराबर अलग–अलग चार साफ एंव सूखे कागज के गत्ते के डिब्बो मे अलग–अलग त्यो का त्यो रखकर डिब्बो के ढक्कन को एयरटाईट बंद कर चार भाग तैयार कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2419 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2419 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. कालूराम जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री कालूराम जैन ने मौके पर **सूजी चारभुजा पॉली पैक** (Sooji Charbhuja Poly Pack) बतौर वारंटी बिल मैसर्स परतानी इण्डस्ट्रीज जी –1–33–34 इण्डस्ट्रीयल एरिया मालपुरा जिला टोंक राज0 का खरीद/वारन्टी बिल संख्या/इन्वॉइस नं0 1189 दिनांक 25.02.2020 की छायाप्रति पेश की। मैसर्स परतानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:53:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

इण्डस्ट्रीज जी –1–33–34 इण्डस्ट्रीयल एरिया मालपुरा जिला टोंक राज0 से पत्राचार करने पर उनके द्वारा मैसर्स अक्षकुबेर सोरटेक्स प्रा0 लि0 69–70, सुजुकी एनक्लेव, चित्तौड़ रोड, रामधाम के पास भीलवाडा राज0। कांकोलिया चौराहा के पास शाहपुरा रोड़ तहसील बेनाडा जिला भीलवाडा का जरिये डाक बिल पेश किया

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2020/1000 दिनांक 24.03.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/445/एक्ट/2020/508 दिनांक 11.03.2020 अनुसार कालूराम जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **सूजी चारभुजा पॉली पैक (Sooji Charbhuja Poly Pack)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (a) (i) (a) 3(1) (zf) (b) (ii) 3(1) (zf) (c) (i)के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण **द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का **सूजी चारभुजा पॉली पैक (Sooji Charbhuja Poly Pack)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **सूजी चारभुजा पॉली पैक (Sooji Charbhuja Poly Pack)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सूजी चारभुजा पॉली पैक (Sooji Charbhuja Poly Pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना [illegible] सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की [illegible] (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध [illegible] से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की [illegible] श्रेणी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:53:47 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री कालू राम जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन एफ0बी0ओ0 मैसर्स महावीर प्रसाद विनोद कुमार चौपड चौराहा के पास डिग्गी तहसील मालपुरा, जिला टोंक (राज0) निवासी पुराना बाजार डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक पर शास्ति 11,000 (अक्षरे ग्यारह हजार रू0) अप्रार्थी श्री रामबाबू परतानी पुत्र श्याम सुन्दर प्रोपरायटर मैसर्स परतानी इण्डस्ट्रीज जी –1–33–34 इण्डस्ट्रीयल एरिया मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी 143, कृषि मण्डी के पीछे बृजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक राज0 पर शास्ति 11,000 (अक्षरे ग्यारह हजार रू0) अप्रार्थी श्री अक्षय अग्रवाल पुत्र श्री अनिल कुमार अग्रवाल निवासी 69 सुजुकी एनक्लेव, शास्त्री नगर भीलवाडा राज0 प्रोपरायटर मैसर्स अक्षकुबेर सोरटेक्स प्रा0 लि0 69–70, सुजुकी एनक्लेव, चित्तौड़ रोड़, रामधाम के पास भीलवाडा राज0। कांकोलिया चौराहा के पास शाहपुरा रोड़ तहसील बेनाडा जिला भीलवाडा पर शास्ति 11,000 (अक्षरे ग्यारह हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 23.12.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

23.12.21

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:53:47 IST
Reason: SelfAttested